

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 416] No. 416] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2016/ज्येष्ठ 26, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2016/JYAISTHA 26, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2016

सा.का.िन. 604(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.िन. संख्यांक 158(अ), तारीख 10 फरवरी, 2016 को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है विखंडित करती है।

[फा. सं. एस-35012/5/2015-एसएस-2]

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2016

G.S.R. 604(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) number G.S.R. 158 (E), dated the 10th of February, 2016, except as respects things done or omitted to have been done before such rescission.

[F. No. S-35012/5/2015-SS-II)

MANISH GUPTA, Jt. Secy.

3062 GI/2016